न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 200 सन 2020

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर ।
3. भगवानाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. मनोहरी 5. रामी पुत्रीया मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर
6. सीमा 7. सरोज 8. सोना पुत्रीयान लालचन्द जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. निरमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशर जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :–30.7.2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 49 के खसरा न0 138/17.0100हैक जिसमें चावली पत्नि मलुराम का 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 50 के खसरा न0 140/1 की 2.3340हैक जिसमें 1/3 हिस्सा चावली पत्नि मलुराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 49 के खसरा न0 138/17.0100हैक्‍ जिसमें चावली पत्नि मलुराम का 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा राण्णीसर के खाता संख्या 50 के खसरा न0 140/1 की 2.3340हैक्‍ जिसमें 1/3 हिस्सा चावली पत्नि मलुराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 49 की 17.0100 , खाता संख्या 50 की कुल 2.3340हैक्‍ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी एवं पुरानी जमाबन्दीयों मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वाद भूमि चावली पत्नि मलुराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा चावली पत्नि मलुराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 49 की कुल 17. 0100हैक्ट व खाता संख्या 50 की कुल 2.3340हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 से दर्ज है में चावली पत्नि मल्लुराम का नाम कलमजन किया जाकर के वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बेंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उप खण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्णलाल हपुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महावीर सिह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर ।
3. भगवानाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. मनोहरी 5. रामी पुत्रीया मलुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर
6. सीमा 7. सरोज 8. सोना पुत्रीयान लाचन्द जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. निरमा पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 200 सन 2020 निर्णय दिनांक– 20/07/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 49 की कुल 17.0100हैक व खाता संख्या 50 की कुल 2.3340हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 से दर्ज है में चावली पत्नि मल्लुराम का नाम कलमजन किया जाकर के वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner